मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 12 जुलाई, 2023 (आषाढ़ 21, शक संवत् 1945)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 4 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3 एवं 4) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 124 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 138 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केन्द्रीय मंत्री की उपस्थिति पर स्वागत् उल्लेख किया गया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश के स्कूलों में चल रहे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में रसोईयों के मानदेय में वृद्धि की जाने,

(2) श्री सुनील सराफ, सदस्य की कोतमा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम छतई मझरा टोलियों में भू स्वामियों की भूमि भूअर्जन कर वेलस्पन कंपनी द्वारा कोई कार्य न किये जाने,

(3) श्री पी.सी.शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के सेवा सहकारी समिति चौखंडी शाखा, डभौरा में गबन के आरोपी को नियम विरूद्ध संस्था का प्रभार दिये जाने,

(4) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की जनजातीय कार्य विभाग में सेवारत अवधि में अनेक दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति न दी जाने,

(5) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की मकरोनिया विधान सभा क्षेत्र में संचालित स्वास्थ्य केन्द्र में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध होने के उपरांत भी मरीजों को सोनोग्राफी की सुविधा न मिलने,

(6) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव, सदस्य की जिला विदिशा अंतर्गत कृषकों की खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल बीमा के नाम से अल्प राशि दी जाने,

(7) श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्य की प्रदेश में संचालित सी.एम.राईज विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया लाटरी पद्धति के कारण अच्छे अंको में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश से वंचित किए जाने,

(8) श्री मनोज चावला, सदस्य की श्री रत्नेश सिंह सहायक ग्रेड-3 का पैर सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त होने के बावजूद गृह जिले में पदस्थापना न किये जाने,

(9) श्री संजय यादव, सदस्य की जिला जबलपुर बरगी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बड़ादेव सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति की जाने तथा

(10) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य की जिला नरसिंहपुर एवं जबलपुर में नर्मदा नदी के दोनों तरफ निर्माणाधीन चिनकी बैराज से भेड़ाघाट तक नर्मदापथ एवं जलमार्ग बनाये जाने,

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा धरना एवं व्यवधान से कार्यवाही बाधित एवं स्थगित होना

इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार एवं महाकाल लोक, उज्जैन में मूर्तियों के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार पर चर्चा न कराने के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया गया.

व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.02 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.30 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

(पूर्वानुसार व्यवधान एवं नारेबाजी के मध्य दैनिक कार्यसूची में अंकित विषयों पर सदन की कार्यवाही जारी रही)

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, खनिज साधन मंत्री ने जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला अनूपपुर का वर्ष 2019-20, जिला शहडोल का वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 तथा जिला सतना, सागर, धार, छिन्दवाड़ा, बालाघाट, रीवा एवं सीधी के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखे.

(2) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

(3) डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022-23, तथा

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखे.

(4) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने -

(क) एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का 43 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वित्तीय वर्ष 2019-20, तथा

(ख) डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखे.

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि - विधानसभा की नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यानाकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परंतु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में 4 सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है और यह समस्त लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि ध्यानाकर्षण की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी और संबंधित मंत्री का वक्तव्य पटल पर रखा हुआ माना जाएगा तथा कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा. तद्नुसार -

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन कराये जाने से कई छात्रों के फेल होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का लिखित वक्तव्य.

(2) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य की मुलताई क्षेत्र में कृषकों को फसल बीमा की राशि कम दर से दिये जाने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(3) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में संबल योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की राशि न मिलने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का लिखित वक्तव्य.

(4) श्री संजय यादव, सदस्य की जबलपुर जिले के जनपद शहपुरा के अधीन पंचायतों में चल रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कार्यवाही न होने संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का लिखित वक्तव्य.

कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में प्रवेश, नारेबाजी एवं व्यवधान से कार्यवाही बाधित होने के कारण आसंदीय घोषणानुसार पढ़े हुए माने गए.

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 204-इन्दौर-1 से निर्वाचित सदस्य, श्री संजय शुक्ला को विधान सभा के जुलाई, 2023 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सभापति ने आवेदन एवं अभ्यावेदन समिति का आवेदनों से संबंधित इक्कीसवां से पच्चीसवां तथा अभ्यावेदनों से संबंधित पच्चीसवां से तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

(2) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति ने लोक लेखा समिति का उनचासवां, पचासवां एवं इक्यावनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किए.

9. आवेदनों की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों के सभी आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

(1) सुश्री चन्द्रभागा किराड़े (जिला-बड़वानी)
(2) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
(3) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
(4) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
(5) श्री मेवाराम जाटव (जिला-भिण्ड)
(6) कुं. रविन्द्र सिंह तोमर 'भिड़ौसा' (जिला-मुरैना)
(7) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
(8) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
(9) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)

10. वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिये दिनांक 13 जुलाई, 2023 को 2 घंटे 30 मिनट का समय नियत किया गया.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्र, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. नरोत्तम मिश्र ने प्रस्ताव किया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 7 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

12. अध्यक्षीय घोषणा

अनुपूरक कार्य सूची में सम्मिलित शासकीय विधि विषयक कार्य एवं प्रथम अनुपूरक अनुमान को आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण किया जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से सूचित किया कि आज की कार्यसूची के पद-8 ''शासकीय विधि विषयक कार्य'' को उप पद (1) के रूप में क्रमांकित कर उसके पश्चात् अनुपूरक कार्यसूची के उपपद (2) से (11) में उल्लिखित विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए मैंने, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उसे विचार में लिये जाने की अनुमति प्रदान की है.

इसके साथ ही नियम 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेरे द्वारा विषय की महत्ता, उपादेयता एवं प्रासंगिकता को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को आज ही विचार एवं पारण हेतु लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है.

13. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(2) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(3) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(4) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(5) श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(6) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) सदन की अनुमति से पुर:स्थापित किया.

(7) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 8 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(8) श्री जगदीश देवड़ा, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 24 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 9 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(9) श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निवेश संवर्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 10 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(10) श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 4 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री विश्वास सारंग ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 11 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(11) डॉ. मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. मोहन यादव ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2023 (क्रमांक 13 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. वर्ष 2023-2024 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि परम्परानुसार, अनुपूरक मांगों की चर्चा में सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाकर उन पर एक साथ चर्चा होती है, अत: वित्त मंत्री द्वारा सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाएं, तदनुसार, श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि –

" दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54 एवं 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर छब्बीस हजार आठ सौ सोलह करोड़, तिरेसठ लाख, सतासी हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.
अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

15. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पुर:स्थापित किया तथा प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2, 3 तथा अनुसूची इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2023 (क्रमांक 12 सन् 2023) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

16. विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाना : प्रस्ताव

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह सूचित किया कि – “विधान सभा के वर्तमान सत्र के लिए निर्धारित समस्त शासकीय, वित्तीय एवं अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं. अत: मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 12-ख के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाए.”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

17. राष्ट्रगान
'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ का समूह-गान किया गया.

18. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिये स्थगित किया जाना: घोषणा

अपराह्न 12.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल:
दिनांक: 12 जुलाई, 2023